कर्यालय जिला पंचाय,खीरी।

हड्डी–चमड़ा नीलाम सूचना

सं0 : 257 (1-2) ह0च0 / जि0पं0 / 2017–18 दिनांक : 13 फरवरी, 2018

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, खीरी के ग्रामीण क्षेत्रों में मृत पशुओं के शव निस्तारण / भण्डारण का ठेका / लाइसेंस रायल्टी लेकर दिये जाने का कार्य वर्ष 2018–19 (01–04–2018 से 31–03–2019 तक) के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों के अनुसार कार्यालय जिला पंचायत, खीरी में सम्नन्न होगा। उक्त के तहत सर्व प्रथम खादी ग्रामोंद्योग बोर्ड द्वारा पंजीकृत सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जायेगी। समिति के अभाव में अथवा अभिलेखों के निरीक्षण में पात्र न पाये जाने एवं डिफाल्टर होने की दशा में पैकृक रूप से जुडे व्यक्तियों के मध्य नीलामी की कार्यवाही कर ठेका / लाइसेंस दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए आवश्यक होगा कि वह अपने निवास स्थान से सम्बन्धित ग्राम प्रधान व लेखपाल के मुहर सहित संयुक्त हस्ताक्षर युक्त इस आशय के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि वह पैतृक रूप से मृत पशुओं के शव निस्तारण आदि के कार्य से जुडे है, ठेके की स्वीकृति का अधिकार मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत, खीरी में निहित है। अन्य शर्तो की जानकारी कार्यालय दिवस में कार्यालय से की जा सकती है।

कार्यक्रम

(1) दिनांक – 28 फरवरी, 2018 तक समितियों से अभिलेख प्राप्त किये जायेगें।
(2) दिनांक – 09 मार्च, 2018 तक अभिलेखों का परीक्षण / निरीक्षण ।
(3) दिनांक – 13.मार्च.2018 को लाइसेंस / ठेका का सम्पूर्ण धन जमा किया जायेगा।

जिन विकास खण्डों में समितियॉ डिफाल्टर है, अथवा पंजीकृत नहीं है उन विकास खण्डों मे पैतृक रूप से इस पेशे से जुड़े व्यक्तियों के मध्य **दिनांक 16 मार्च, 2018 मध्यान्ह 12 बजे नीलाम की कार्यवाही कार्यालय, जिला पंचायत, खीरी में की जायेगी।** जमानत प्रत्येक विकास खण्ड के लिए रू0 15000 / –तथा प्रति न्याय पंचायत हेतु रू0 5,000 / – देय होगी। नीलाम के बाद उच्चतम बोलीदाता को सम्पूर्ण धन तुरन्त जमा करना अनिवार्य होगा। नीलामी में सम्पूर्ण विकास खण्ड हेतु वरीयता दी जायेगी। सम्पूर्ण विकास खण्ड की बोली प्राप्त न होने पर न्याय पंचायतवार नीलामी करायी जायेगी। नीलामी किये जाने वाले विकास खण्डों / न्याय पंचायतों की सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

नोटः–जिन विकास खण्डों / न्याय पंचायतों के लिए पंजीकृत सहकारी समितियों को लाइसेंस अथवा खुली नीलामी में ठेके की धनराशि मानक के अनुरूप प्राप्त न होगी। उन विकास खण्डों / न्याय पंचायतों की **पुनः खुली नीलामी दिनांक 22 मार्च, 2018, तथा उससे अवशेष दिनांक 28 मार्च, 2018, से अवशेष की नीलामी माह के प्रत्येक बुधवार को (उक्त दिन अवकाश रहने पर दूसरे दिन)** कार्यालय जिला पंचायत में सम्पन्न होगी।

(अशोक कुमार सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, खीरी।